

FORM NO- III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत उपखंड अधिकारी, मुकाम बयाना
 शनिराम बनाम कैलाशी शर्मा
 किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र ,212,आर.टी.एक्ट नं. 204 सन 23

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख, अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10.08.23	<p>एडवोकेट प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट के तहत पेश किया। हमने एडवोकेट प्रार्थी को एक पक्षीय सुना पत्रावली मे संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रार्थी के हक में कयास आता है कि अप्रार्थीगण मूल के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.10.23 तक इस आशय का जारी किया जाता है कि प्रार्थना पत्र की मदसंख्या 2 में वर्णित आराजियात वाके ग्राम चकवीरमपुरा तह0 बयाना के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। एवं इस बाबत कोई आपत्ति हो तो नियत तारीख पेशी को न्यायालय हाजा उपस्थित होकर जबाब प्रार्थना पत्र पेश करें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर प्रकरण दिनांक 16.10.23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)</p> <p>16/10/23 चुनाव कार्य में अस्त पीठासीन अधिकारी पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/10/23 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना</p> <p>31/10/24 वरुणा उपखण्ड । जयपुर व अर्ध-जयपुर का प्रमाण बल बाद के हाक प्रमाण 31/10/24 को पेश हो</p> <p>31/10/24 पीठासीन अधिकारी पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31/10/24 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना</p> <p>31/10/24 पीठासीन अधिकारी पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31/10/24 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना</p>	

COPY
31/10/24

U 11
24 पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9/1 को पेश है
रीडर
अं/एस.डी.एम

9/25 - बसुबाप अथवा जगाद के अर्थ में
भारत सरकार द्वारा जारी किये गए
को पेश किया है

BPR प्रथम
27/3 पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/3 को पेश है
रीडर
अं/एस.डी.एम

26/25 पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/9 को पेश है
रीडर
अं/एस.डी.एम

15/25 पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/2 को पेश है
रीडर
अं/एस.डी.एम

14/10/2025 प्राचीन अथवा आधुनिक अथवा प्राचीन
ने प्रा.पत्र को अज्ञान में पेश किया है कि प्रा.पत्र
को इस प्रा.पत्र को जारी नहीं किया गया है।
आपको ध्यान देना चाहिए कि प्रा.पत्र को
आपको पत्रावली के अनुसार पेश करना है। प्रा.पत्र को
आपको पत्रावली के अनुसार पेश करना है। प्रा.पत्र को
आपको पत्रावली के अनुसार पेश करना है। प्रा.पत्र को
आपको पत्रावली के अनुसार पेश करना है। प्रा.पत्र को

सुबेडिविजन अधिकारी
अज्ञान (भक्तपुर)